राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2720383, 384, 137, 138, 139 फैक्स : 0522–2720056

पत्रांक: वि०३ /2020– 915 दिनांक: 18 मार्च, 2020

1. समस्त उप निदेशक (प्रशा0/विप0)
   मण्डी परिषद उ0प्र0।
2. समस्त उप निदेशक (निर्माण) एवं
   उप निदेशक (वि0/यां0),
   मण्डी परिषद उ0प्र0 एवं
3. समस्त सचिव, मण्डी समितियां, उ0प्र0

विषय:– कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 581/पांच–5–2020 दिनांक 17.03.2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से कोविड–19 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के उपाय के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) का विश्वभर में आपदा के रूप में प्रकोप फैल रहा है एवं देश में कतिपय प्रदेशों में नये वायरस संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हो रहे हैं। जब कोई COVID-19 संक्रमित व्यक्ति खांसी या साँस छोड़ते हैं वे संक्रमित तरल पदार्थ की बूंदों को छोड़ देते हैं इनमें से अधिकांश बूंदें आस–पास की सतहों और वस्तुओं पर गिरती हैं – जैसे डेस्क, टेबल या टेलीफोन। दूषित सतहों या वस्तुओं को छूकर आंखों, नाक या मुंह छुने से लोग COVID-19 संक्रमित हो सकते हैं। अतएवं नोवेल कोरोना वायरस रोग की रोकथाम और इसके उपचार के प्रभावी प्रबन्ध के उद्देश्य से मण्डी समितियों एवं कार्यालयों में निम्नानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. दिनांक 02.04.2020 तक **बायोमेट्रिक मशीन** से उपस्थिति नहीं ली जाएगी। इसके पंजिका का प्रयोग किया जाए।
2. जहां तक संभव हो बैठकें **वीडियों कान्फ्रेसिंग** के माध्यम से की जाए। जिन बैठकों में बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिभाग हो उन्हें सीमित किया जाय अथवा पुर्ननिर्धारित किया जाए।
3. व्यापारिक स्थलों, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, डाकखानों आदि जहां आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं, में **संचालन अवधि को नियंत्रित करने**, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए "क्या करें क्या न करें" के प्रदर्शन हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य हित साधकों के साथ बैठक करें।
4. सभी **व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर** की दूरी बनाये रखी जाए। बाजारों में पीक आवर्स को कम करने के उपाय किये जाये।
5. मण्डी समितियों एवं कार्यालयों में स्थापित **शौचालयों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखे** एवं **शौचालयों में स्वच्छ जल एवं हैण्डवाश/साबुन** की उपलब्धता सुनिश्चित करावे।

6. मण्डी समितियों एवं कार्यालयों में पूर्ण रूप से **सफाई/स्वच्छता सुनिश्चित** करावे साथ ही नियमित रूप से कार्य में **उपयोगाथ वस्तुओं यथा– कम्प्युटर, टेबल, कुर्सी व अन्य को कीटाणुनाशक** से साफ करावे। कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों एवं पल्लेदारों को नियमित रूप/अन्तराल पर **हाथ धोने की प्रथा को बढ़ावा दे**।
7. कार्यस्थल के आस–पास प्रमुख जगहों पर **हैण्ड सेनेटाइजर रखवाना** व **समय–समय पर रिफिल कराना** सुनिश्चित करें।
8. कार्यस्थल में **अच्छी श्वसन स्वच्छता** (Respiratory Hygiene) को बढ़ावा दे। जहां तक संभव हो कार्यस्थल के दरवाजे व खिडकियां खुले रखे।
9. अनावश्यक यात्रा से बचे।
10. सुनिश्चित करें की कार्यस्थल पर किसी अधिकारी/कर्मचारी (जिन्हे बुखार, नाक बहना या खांसी हो) हेतु **फेस मास्क** व **टिश्यू पेपर** उपलब्ध हो।
11. अधिकारी/कर्मचारी जिनमें खांसी/जुखाम/बुखार के लक्षण हो तत्काल डाक्टर की सलाह लेने की राय दे एवं ऐसे कर्मचारी/अधिकारी को किसी सार्वजनिक बैठक में भेजने से बचे।
12. मण्डी समितियों में आने वाले किसानों एवं व्यापारियों को नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक करें एवं डिजिटल व्यापार के फायदों से अवगत कराते हुए डिजिटल व्यापार की प्रथा को बढ़ावा दे।
13. कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी फैलाता है, जिसके लक्षण बुखार, खॉसी, सांस लेने में तकलीफ है।
14. कोरोना वायरस का खतरा घटाएं यह महत्वपूर्ण सावधानियां अपनाएः–
    - खांसने और छींकनें पर मुंह और नाक को रूमाल या टिश्यू से ढके।
    - नियमित अन्तराल पर साबुन और पानी से हाथ धोएं
    - जिन व्यक्तियों को खांसी, सांस लेने में परेशानी या बुखार हो, उनके निकट संपर्क से बचे और दूरी बनावे
    - अपनी ऑख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
15. अपने कार्यालयों में बैठक आयोजित कर नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में समस्त स्टाफ को जागरूक करे।
16. कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नही है अपितु कोरोना वायरस के प्रति सावधानियां और सतर्कता बरते। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में तत्काल स्थानीय चिकित्साधिकारी/जिला चिकित्साधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

उपरोक्तानुसार शासन के उपर्युक्त पत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इसमें **दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करावे।**

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक समांक–

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद,उ0प्र0।
2. मुख्य अभियन्ता, ग्रेड–2, मण्डी परिषद उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ की उपरोक्तानुसार मण्डी परिषद मुख्यालय पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मण्डी परिषद, उ0प्र0।

18.03.2020

निदेशक

अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या–581/पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन,
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
3. समस्त जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक :17 मार्च, 2020

विषय–कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इंटरवेंशन है जो संक्रमित लोगों एवं गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (Morbidity) एवं इससे होने वाली मृत्यु दर (Mortality) को कम किया जा सकता है।

2– प्रश्नगत संदर्भ में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के उपाय को अपनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें–

1. चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बन्द रहेंगे।
2. छात्रों को घर में ही रहने का परामर्श दिया जाय एवं ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये।
3. उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डों/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेंगी।
4. तहसील दिवस व समाधान दिवस का आयोजन दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक स्थगित रहेगा।
5. कोरोना वायरस के मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था का समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

–2–

6. दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति नहीं ली जाएगी। इसके लिए पंजिका का प्रयोग किया जाए।
7. कोरेनटाइन/आईसोलेशन में रखे जाने वाले कार्मिकों को नियोजकों के द्वारा सवेतन अवकाश दिया जाएगा।
8. निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाय कि जहाँ तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाय।
9. जहाँ तक सम्भव हो बैठकें वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाये। जिन बैठकों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रतिभाग करना हो उन्हें सीमित किया जाय अथवा पुर्ननिर्धारित किया जाय।
10. रेस्टोरेन्टों द्वारा हैण्ड वाशिंग प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाय तथा जिन स्थानों को बार–बार छुआ जाता है, उनकी समुचित साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय। मेजों के बीच की भौतिक दूरी न्यूनतम एक मीटर रखी जाय। जहां पर सम्भव हो, खुले में बैठने की व्यवस्था की जाय तथा पर्याप्त दूरी रखी जाय।
11. पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों को सीमित किया जाय तथा अनावश्यक सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलनों को स्थगित किया जाय।
12. स्थानीय प्रशासन, खेल आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं जिनमें बड़ी भीड़ की सम्भावना हो, के आयोजकों से संवाद स्थापित कर उन्हें ऐसे आयोजनों को स्थगित करने की सलाह दे।
13. जिलाधिकारी, धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक व धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक करें। भीड़ को नियंत्रित करने की सलाह दें एवं धर्मगुरूओं से अपील करें कि कम से कम लोग आयें और भीड़ को इकट्ठा न करें। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि मेले आदि में आने वाले लोगों को जागरूक करें और संक्रमण से बचने हेतु पूरी सावधानी बरती जाए। अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रहे। ऐसे किसी भी आयोजन में हाथ धोने हेतु साबुन, पानी/हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
14. व्यापारिक स्थलों, सब्जी मण्ड़ी, आनाज मण्डी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, डाकखानों आदि जहाँ आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती हैं, में संचालन अवधि को नियंत्रित करने, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए ''क्या करें क्या न करें'' के प्रदर्शन हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य हित साधकों के साथ बैठक करें।
15. सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाय। बाजारों में पीक आवर्स को कम करने के उपाय किये जाये।
16. अनावश्यक यात्रा से बचा जाय। बस, ट्रेन तथा वायुयान जैसे सार्वजनिक परिवहन में लोगों की पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाय तथा इन स्थानों पर सतहों का उचित वि–संक्रमण सुनिश्चित किया जाय।

17. अस्पतालों द्वारा कोविड–19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाय और परिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने को नियंत्रित किया जाय।
18. लोगों के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाय। हाथ मिलाना तथा गले लगाना जैसे अभिवादन के तरीके से बचा जाय।
19. ऑनलाइन आर्डर सेवा में कार्यरत डिलेवरी करने वाले कर्मी (मेन/वूमेन) हेतु विशेष रक्षात्मक उपाय अपनाये जाय।
20. जन सामान्य को निरन्तर इस सम्बन्ध में सूचना दी जाय।

कृपया उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
17.3.2020
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–581(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0, शासन,
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन,
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0,
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 को प्रचार–प्रसार हेतु,
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0,
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0,
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
17.3.2020
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।